ई–मेल

संख्या–690/आठ–3–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनॉक: 27 मार्च, 2023**

विषयः–उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020–25 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल पार्को में स्थापित निर्यातक इकाईयों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश से होने वाले निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा मेक इन उ0प्र0, मेक इन इण्डिया के ब्राण्ड का विकास एवं प्रोत्साहन देने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020–25 प्रख्यापित की गयी है।

2– उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020–25 के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तर–3 में उल्लिखित क्रियान्वयन रणनीति के अन्तर्गत बिन्दु (xiii) में निम्नलिखित प्राविधान हैं :–

"राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल पार्को में स्थापित निर्यातक इकाईयों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो प्रदान किया जाना।"

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020–25 से आच्छादित राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल पार्को में स्थापित होने वाली निर्यातक इकाईयों के भवन मानचित्र की अनुज्ञा देते समय उपरोक्त वर्णित मानक के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या–690(1)/आठ–3–2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
(4) अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

27.3.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

K.P.-G.O.-2023 R